राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 19.02.2015 को प्रातः 10.15 बजें माननीय मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.02.2015 को प्रातः 10.15 बजें माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष प्रथम, शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने माननीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिवगणों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं को प्रस्तुतिकरण द्वारा अवगत कराया। विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :–

1. खरीफ फसल 2014 अभाव संवत 2071 में अभावग्रस्त 13 जिले यथा बाड़मेर, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, प्रतापगढ़ एवं जैसलमेर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित पशुसंरक्षण राहत गतिविधियां यथा पशुशिविर/गौशाला एवं पेयजल परिवहन व्यवस्था आदि के संचालन हेतु उक्त जिला कलक्टरों को 30 दिवस के लिए अधिकृत किया गया था। जिले में संचालित उक्त राहत गतिविधियों को गंभीर सूखें की स्थिति के कारण अवधि 30 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस व अधिकतम 90 दिवस किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
2. संवत 2070 की भांति अभाव संवत 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर 13 जिले बाड़मेर, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, प्रतापगढ़ एवं जैसलमेर में भी अभावग्रस्त घोषित जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आगामी बैठक में ले लिया जावेगा।
3. कोटा जिले में वर्ष 2013 में चम्बल नदी के बांधो से पानी छोड़े जाने से निचली बस्तियों में पानी भर जाने के कारण निचली बस्तियों में बसे परिवारों को आश्रय स्थल में ठहराने व भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने तथा पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति हेतु किये गये व्यय राशि 1,37,270/– रूपये का बजट आवंटन करने तथा अजमेर जिले में दिनांक 11.08.14 को ब्यावर शहर में अधिक

वर्षा होने से छावनी एवं फतहपुरिया ईलाके में घरों में पानी भर जाने के कारण बेघर हुये व्यक्तियों को 150 खाने के पैकेट उपलब्ध कराने पर हुए व्यय राशि 6300/– रूपये का बजट आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

4. वर्ष 2014 में राज्य में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सा.नि. विभाग की परिसम्पत्तियों (सड़कों) की तात्कालिक मरम्मत हेतु जयपुर, भीलवाडा, कोटा, चित्तौडगढ़ झालावाड़, अजमेर एवं जालौर जिलों से 1446 क्षतिग्रस्त कार्यो की तात्तकालिक मरम्मत हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की जाकर 1176 क्षतिग्रस्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्तियों (बांधों/नहरों) की तात्कालिक मरम्मत हेतु अजमेर, बून्दी, टोंक, जयपुर, भीलवाडा, कोटा, बांरा, सवाई माधोपुर, दौसा एवं राजसमन्द जिलों से 248 क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 1676.20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

5. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश अन्तर्गत क्षमता संवर्धन की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

6. अभावग्रस्त जिलों में 25 प्रतिशत से ज्यादा गांव होने पर पूरे जिले में पेयजल परिवहन राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से किये जाने का अनुमोदन किया गया।

7. वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सूखा एवं बाढ़ राहत मद में हुए व्यय राशि रूपये 91365.74 लाख तथा स्वीकृत कार्यों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

8. राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि में से 360.00 करोड़ का विनिवेश 91 दिवसीय ऑक्सन्ड ट्रेजरी बिलों में दिनांक 18.09.2014 को किया गया। जिसकी परिपक्वता पर दिनांक 18.12.2014 को पुनः पुर्ननिवेश किया गया, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

9. एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत निर्धारित 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु राहत गतिविधियों का संचालन किये जाने पर होने वाले व्यय राशि रूपये 266.87 करोड़ की भारत सरकार से विशेष स्वीकृति लिये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने बताया कि वर्तमान में जिन जिलों में 90 दिवस पूर्ण हो गये हैं, उन जिलों में राहत गतिविधियॉ रौक दी गयी है। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि विशेष आवश्यकता होने पर ही भविष्य में राहत गतिविधियॉ शुरू की जावे ताकि 90 दिवस में पूर्ण हो सके।

10. जयपुर एवं जोधपुर नगर निगम के लिये टर्न टेबल लेडर क्रय हेतु जारी स्वीकृति को यथावत रखते हुए नगर निगम अजमेर एवं उदयपुर के लिये एयर हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय के आदेश निरस्त किये जावे एवं क्रय की कार्यवाही अविलम्ब रोकी जावे

एवं मुख्य मन्त्री महोदया द्वारा की गयी घोषणा अनुसार जयपुर एवं जोधपुर नगर निगम के लिये ही टर्न टेबल लेडर क्रय की कार्यवाही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सुनिश्चित किये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निणर्य लिया गया की राज्य सरकार की बिना अनुमति से जयपुर एवं जोधपुर के स्थान पर अजमेर व उदयपुर के लिए क्रय आदेश जारी करने वाले संबधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जावे।

11. नीलगाय एवं रोजडा द्वारा फसल खराबे के प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण करके पृथक से पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

12. जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसके बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये। प्रस्तुतिकरण के क्रियान्वयन के संबंध में जारी निर्देशों का विस्तृत विवरण पृथक से निम्नानुसार संलग्न है, जिनका पृथक से पत्रावली पर परिक्षण करके प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–1

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.02.2015 में उपस्थित अधिकारीगण।

क्र. सं.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री ए. मुखोपाध्याय	अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग
2	श्री श्रीमत् पाण्डे	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3	श्री प्रेम सिंह मेहरा	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
4	श्री डी. बी. गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	श्री दिनेश कुमार	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6	श्रीमती गायत्री ए. राठौड़	शासन सचिव, परिवहन विभाग
7	श्री एन. मोरिस बाबू	महानिदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा
8	श्री कृष्ण कुणाल	जिला कलक्टर, जयपुर
9	नम्रता वैष्णवी	आई.ए.एस. (पी.)
10	श्री एस.एस.पी. शर्मा	सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा

जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रस्तुतिकरण के विभिन्न विन्दु एवं दिशा–निर्देश

1	2	3	4
चर्चा बिन्दु	**विस्तृत विवरण**	**चर्चा एवं निर्णय**	**संबंधित विभाग**
1. शहरीकरण/बढती आबादी को देखते हुये आतंकवादी हमले/ भीड–भाड वाले क्षेत्रों में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के लिये प्रभावी व्यवस्थाओं का अभाव	जयपुर शहर की वर्तमान आबादी लगभग 40 लाख होने के साथ ही यह पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, बडी औद्योगिक इकाइयां, व्यावसायिक मॉल, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा, ऑयल/गैस पाईप लाइनें गुजरना एवं भीड–भाड वाले क्षेत्र इत्यादि को देखते हुये आपदा की स्थिति में जन धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। पूर्व में जयपुर शहर में वर्ष 2008 में आतंकी हमले भी हो चुके हैं तथा अन्य आपराधिक घटनायें भी आये दिन होती रहतीं हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में राजस्थान वल्नरेबल एस्टेबिलिशमेन्ट सिक्योरिटी (रेगुलेशन) बिल लाया जाना प्रस्तावित किया गया है । लेकिन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नियम 1968 के नियमों में जो प्रावधान दिये गये हैं वो भवनों/संस्थानों की सुरक्षा के साथ–साथ जलापूर्ति, महामारी की रोकथाम हेतु उपाय, आगजनी के दौरान् किये जाने वाले उपाय, भवन मालिकों/संस्थानों के मालिकों को सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश के लिये पर्याप्त हैं । तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार इन अधिकारों का प्रत्यायोजन जिला मजिस्ट्रेट को कर सकती है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन प्रावधानों के तहत जारी किये जाने वाले आदेशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है । और आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधान अन्य प्रावधानों पर अद्यारोही (over-riding) एवं आज्ञापक हैं ऐसी स्थिति में राजस्थान वल्नरेबल एस्टेबिलिशमेन्ट सिक्योरिटी (रेगुलेशन) बिल लाये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है । यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने देश के सभी जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर दिया है । ऐसी स्थिति में सभी जिलों में इन प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है । अतः जिला मजिस्ट्रेट जो कि नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, हैं तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष है, को नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत उक्त शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है ।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि यदि राज्य के सभी जिले नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपदा प्रबन्धन के माध्यम से कवर होते हैं तो नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत तथा आपदा प्रबन्धन नियमों के तहत अपेक्षित शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है तथा इस प्रत्यायोजन के बाद राजस्थान वल्नरेबल एस्टेबिलिशमेन्ट सिक्योरिटी (रेगुलेशन) बिल की आवश्यकता के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया जा सकता है । राज्य कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम/नियम के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु प्रस्ताव गृह विभाग सबंधित पत्रावली पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करें।	गृह विभाग

2. राजस्थान सिनेमा (विनिमय) अधिनियम 1952 के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.1.2011 के क्रम में पुलिस आयुक्तालय की व्यवस्था जयपुर शहर में लागू की गयी है जिसके तहत विभिन्न एक्ट पुलिस आयुक्तालय को स्थानांतारित किये गये थे जिसमें राजस्थान सिनेमा (विनिमय) अधिनियम 1952 को भी स्थानांतरित किया गया है । इस क्रम में उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट है। इस संबंध में **उपहार सिनेमा त्रासदी** में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील संख्या 597–602/2010 एवं 605–616/2010 सुशील अंसल बनाम सरकार (जरिये सीबीआई)** में दिये गये आदेशानुसार पुलिस द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने की अनुशंषा की गयी है तथा निम्नानुसार सुझाव दिये गये है:– (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारी सिनेमा हॉल का आपातकालीन प्लान बनाकर प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदन करायेगा। (2) प्रत्येक सिनेमा हॉल में प्रत्येक शो के दौरान एक लघुवृत्त चित्र निकास स्थल आपातकालीन रास्तों पर दिशा–निर्देश आदि सूचित करने के प्रदर्शित करेगा। (3) प्रत्येक सिनेमा हॉल का समस्त स्टॉफ अग्नि दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा के उपायों से प्रशिक्षित होगा। जो अग्नि काण्ड या अन्य परिस्थितियों में उपयोगी हो। (4) सिनेमा हॉल का अन्दर आने का स्थल निकास स्थान से अलग होना चाहिये। शो समाप्त होने पर दर्शकों के लिये निकास द्वार का उपयोग के लि अस्थाई बेरिकेटिंग ऐसी होनी चाहिये जो सिनेमा कर्मियों द्वारा आसानी से हटाये जा सके। (5) हर छः माह में सिनेमा हॉल निरीक्षण अनिवार्य होना चाहिये। जिसमें अग्निशमन यंत्र, बिजली का उपकरण व सुरक्षात्मक उपायों का निरीक्षण करे कि वे ठीक से काम कर रहे है या नही। (6) यदि सिनेमा हॉल एक से अधिक या मल्टीप्लेक्स में स्थित हो तो उसके लिये अलग से नियम बनाये जावें जो कि एकल सिनेमा हॉल से अलग तथा उससे संबंधित हो। (7) **अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए एकल बिन्दु (Single Point Nodal Agency) बनाये तथा अनुज्ञा पत्र का कार्य जो पुलिस के पास है वह समाप्त किया जावे।** (8) प्रत्येक सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा मानक देने	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में यह उचित है कि राजस्थान सिनेमा (विनिमय) अधिनियम 1952 के तहत अन्य राज्यों की तरह पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी पुलिस आयुक्त के बजाय जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेन्सिग ऑथोरिटी बनाया जाए । राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया कि पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 में संशोधन हेतु प्रस्ताव संबंधित पत्रावली पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।	गृह विभाग

	चाहिये जैसे हरा (पूर्ण पालना) पीला (संतुष्टि दायक पालना) लाल (असंतुष्ट दायक स्थिति) इस रेटिंग का आंकनल आवश्यक रूप से प्रत्येक सिनेमा हॉल में दृष्टित किया जावे। जिससें सिनेमा कर्मियों एवं बिल्डिंग मालिक में जागरूकता हो सके। (9) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सिनेमा हॉल्स के लिये आपतकालीन उपाय दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें। साल में एक बार अनिर्वाय रूप से मॉकड्रिल आयोजित किया जावेगा। उक्त सुझाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये हैं जिसकी पालना मुख्यतया आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ने यह भी अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में दिल्ली सरकार ने दिनांक 09.01.2015 को नोटिफिकेशन जारी कर सिनेमा अनुज्ञा पत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेन्सिग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशें को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में भी समान व्यवस्था हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने निवेदन किया है ।		
3. नागरिक सुरक्षा विभाग का राज्य स्तर पर नियंत्रण	नागरिक सुरक्षा (संशोधन)अधिनियम, 2009 द्वारा नागरिक सुरक्षा की परिभाषा में आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में किये जाने वाले सभी उपाय जो आपदा के समय तथा आपदा के पहले होने चाहिये, को सम्मिलित किया गया है । नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेट को अपने–अपने जिले में नागरिक सुरक्षा नियंत्रक (कन्ट्रोलर) घोषित किया गया है । वर्तमान में राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग का राज्य स्तर पर निदेशक, महानिदेशक, होमगार्ड को घोषित किया गया है, चूँकि पूर्व में आपदा प्रबन्धन नागरिक सुरक्षा का मुख्य काम नहीं था अब संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा एक्ट में संशोधन से नागरिक सुरक्षा का मुख्य काम आपदा प्रबन्धन कर दिया गया है ऐसी स्थिति में सचिव, आपदा प्रबन्धन जो कि राज्य में आपदा प्रबन्धन व सहायता की सभी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी हैं, को निदेशक नागरिक सुरक्षा बनाया जाना उचित होगा । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत जो कार्य नागरिक सुरक्षा को दिये गये हैं उन कार्यो को करने के लिये उन्हें विभिन्न विभागों से समन्वय भी रखना होगा जो कि महानिदेशक, होम गार्ड के बजाय सचिव, आपदा प्रबन्धन के स्तर पर बेहतर किया जा सकता है क्योंकि सचिव, आपदा प्रबन्धन वर्ष पर्यन्त सहायता सम्बन्धी गतिविधियों हेतु एवं एस0डी0आर0एफ0 के संचालन के दौरान् इन सभी विभागों से सम्पर्क में रहते हैं । नागरिक सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार उसे	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि नागरिक सुरक्षा का कार्य आपदा प्रबन्धन का पृथक विभाग राज्य में होने के कारण आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन करते हुए सचिव, आपदा प्रबन्धन को पदेन निदेशक, नागरिक सुरक्षा नियुक्त किया जाना उचित रहेगा । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक, होमगार्ड ने भी भारत सरकार में नागरिक सुरक्षा का अलग निदेशालय स्थापित होने का कथन करते हुए राज्य में तदनुसार कार्यवाही के लिये अपनी सहमति व्यक्त की । राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सैद्वान्तिक सहमति देते हुए प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये ।	गृह विभाग

	एन0सी0सी0., एन0एस0एस0 और एन0वाई0के0 से जोडा जाना है यह कार्य भी सचिव, आपदा प्रबन्धन बेहतर तरीके से नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (जिला मजिस्ट्रेट) के माध्यम से करा सकते हैं । नागरिक सुरक्षा सुदृढीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों के लिये कॉरपोरेट सैक्टर से सीधे सहयोग एवं उनके सी0एस0आर0 फण्ड से सहयोग लिया जाना है । यह कार्य उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से किया जाना है इस हेतु सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगें । नागरिक सुरक्षा का मुख्य कार्य आपदा प्रबन्धन का है जो कि कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से किया जाना है जबकि पुलिस का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाये रखने का है । साथ ही जिला कलक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि इसी सन्दर्भ में – माननीय उच्चतम न्यायालय ने भगवतीप्रसाद गोरधनदास भट्ट बनाम गुजरात राज्य 1979 (3) एसएलआर 805 में यह निर्णित किया है कि पुलिस फोर्स का कोई भी सदस्य नागरिक सुरक्षा का सदस्य बनने के लिये योग्य नहीं होगा । भारत सरकार के द्वारा सभी जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा राज्य के 27 शहरों को 2010 के पूर्व ही नागरिक सुरक्षा शहर घोषित करने के बावजूद राज्य में जयपुर एवं जोधपुर को छोडकर कहीं पर भी नागरिक सुरक्षा विभाग की गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रही है । ऐसी स्थिति में इनका नियंत्रण सचिव, आपदा प्रबन्धन के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से होने पर आपदा प्रबन्धन का कार्य सुचारू रूप से होगा तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगें । आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 29 में राज्य सरकार को जो उत्तरदायित्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, की प्रभावी पालना भी हो सकेगी क्योंकि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण नागरिक सुरक्षा का स्टॉफ को उपयोग कर सकेंगें ।		
4. सभी जिला मुख्यालयों पर नागरिक सुरक्षा विभाग की व्यवस्था	1. भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 को संशोधित कर 2009 में नागरिक सुरक्षा को आपदा प्रबंधन से जोडे जाने के पश्चात नागरिक सुरक्षा विभाग का सुदृढीकरण करते हुये सभी जिलों में जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा इकाई	राज्य कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों को सशक्त करने हेतु सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाईयां गठित की जानी चाहिये । गृह विभाग संबंधित पत्रावली	गृह/ स्थानीय निकाय विभाग/ नगरिय विकास

	स्थापित की जानी है। जबकि वर्तमान में जयपुर सहित 10 जिलों में ही नागरिक सुरक्षा इकाईयां कार्यरत है। 2. सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाईयों का गठन किया जाना उचित होगा ताकि उन जिलों में आने वाली किसी भी प्रकार की आपदा के लिये जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उनका सहयोग ले सके तथा इस हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों का लाभ राज्य को हो सके । 3. नागरिक सुरक्षा को प्रभावी करने के लिये जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नागरिक सुरक्षा जिलों में 20 लाख की आबादी पर 17 विभिन्न संवर्ग के पद स्थाई रूप से लगाये जाने हेतु अधिकृत किया है । अतः यह सभी स्टॉफ चरणबद्ध तरीके से लिया जा सकता है जो जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । 4. वर्तमान में प्रति जिला 20 लाख की आबादी पर 04 क्यूआरटी बनाये जाने का प्रावधान है । इसके तहत जयपुर को वर्तमान में 24 वालन्टियर्स 06 प्रत्येक क्यूआरटी के हिसाब से दिये गये हैं । जबकि जयपुर की वर्तमान आबादी लगभग 80 लाख है जिसके अनुपात में 100 वॉलन्टियर्स क्यूआरटी हेतु स्वीकृत किये जाने चाहिये । उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों हेतु की जाने वाली राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में शत–प्रतिशत तथा कुछ प्रकरणों में 50 प्रतिशत वहन किये जाने के प्रावधान है। तथा राज्य का 50 प्रतिशत राज्य आपदा प्रबन्धन कोष से वहन किया जाना अनुमत हैं । ऐसी स्थिति में जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई के गठन पर राज्य पर अधिक वित्तीय भार भी नहीं होगा । राज्य के 03 जिलों (बाडमेर, जालौर, अलवर) को ही बहु आपदा संभावित जिला घोषित किया गया है । बहु आपदा संभावित जिलों में जयपुर जिले सहित अन्य बहु आपदा संभावित जिलों को सम्मिलित नहीं किया गया है । अतः उन्हें बहु आपदा संभावित जिला घोषित किये जाने के प्रस्ताव गृह विभाग, भारत सरकार, को भिजवाये जाने प्रस्तावित हैं ताकि ऐसे जिलों को प्राप्त होने वाले संसाधन राज्य को प्राप्त हो सकें ।	पर सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। साथ ही नगरीय विकास विभाग/स्थानीय निकाय विभाग ऐसी स्थापित होने वाली इकाईयों के लिये निःशुल्क भूमि आवंटन यथाशीघ्र करेंगें । इस हेतु भी निर्देश जारी किये जाएं ।	विभाग/ आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

5. स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स (एसडीआरएफ) का नियंत्रण जिला स्तर पर जिला कलक्टर के अधीन करने बाबत।	राज्य में आपदा प्रबन्धन में एस0डी0आर0एफ0 का गठन किया गया है । एस0डी0आर0एफ0 की बटालियन जयपुर, जोधपुर, कोटा में कार्यरत है लेकिन किसी भी आपदा की स्थिति में इनका प्रभावी प्रयोग नहीं हो पा रहा है । यह देखा गया है कि आपदा की स्थिति में एस0डी0आर0एफ0 से सम्पर्क करने पर उनका मौके पर पहुँच का समय अत्यधिक होता है कई बार पूर्ण तैयारी के साथ नहीं होता ऐसी स्थिति में राज्य स्तर पर एस0डी0आर0एफ0 के नियंत्रण को परिवर्तित किये बिना जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अन्य संभाग मुख्यालय पर स्थित एस0डी0आर0एफ0 का नियंत्रण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिये ताकि आपदा की स्थिति में उनका प्रभावी उपयोग तत्काल किया जा सके । साथ ही संबंधित संभागीय आयुक्त की अनुमति से जिला मजिस्ट्रेट उसे अन्य जिलों में भी आवश्यकता होने पर तुरन्त भिजवा सकेंगें ।	विचार विमर्श के दौरान् यह सहमति बनी कि एसडीआरएफ के प्रभावी प्रयोग के लिये उपरोक्त सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है । राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एसडीआरएफ के जिला स्तर पर स्थित बटालियन का नियंत्रण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के अधीन रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का परीक्षण कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु गृह विभाग को निर्देशित किया।	गृह विभाग
6. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 के तहत बजट आवंटन के संबंध में।	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 में राज्य सरकार द्वारा **राज्य आपदा मोचन निधि, जिला आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा शमन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि** बनाये जाने के प्रावधान दिये गये हैं लेकिन राज्य में अभी तक ऐसे फण्ड नहीं बनाये गये हैं । अतः जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सशक्त करने हेतु धारा 48 के तहत ऐसे फण्ड बनाये जाने प्रस्तावित हैं । ऐसे फण्ड बनाये जाने की अवधि तक अग्रिम राशि के रूप में प्रत्येक जिले को 25 लाख तथा संभागीय जिलों को 50 लाख तथा जयपुर, जो कि राजधानी जिला है, को एक करोड की राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि आपदा प्रबन्धन में संसाधनों की किसी प्रकार की कमी न रहे और आपदा की स्थिति में तुरन्त मौके पर निर्णय लिया जाकर जन धन की हानि बचाई जा सके । इस हेतु फण्ड के गठन के पश्चात् सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि के लिये तथा जिला मजिस्ट्रेट को जिला	इस सम्बन्ध में शासन सचिव, सहायता द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान में सभी जिलों को 10–10 लाख रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है । **जिला आपदा मोचन निधि, जिला आपदा शमन निधि** का गठन नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त, ने बताया कि आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी निधियों का गठन किये जाने में आपत्ति नहीं है । राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अग्रिम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग वित्त विभाग उद्योग विभाग

	आपदा मोचन निधि एवं जिला आपदा शमन निधि के लिये कारपोरेट सोशल रेस्पोन्सबिलिटी के तहत सहयोग लेने हेतु अधिकृत किया जाना भी उचित होगा ।	प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत फण्ड बनाने के लिये तथा कॉरपोरेट सोशल रेस्पोनसिबिलिटी के तहत आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा के लिये सहयोग हेतु सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जो कि अब नागरिक सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व वहन करेगें, को तथा जिला मजिस्ट्रेट (समस्त) को अधिकृत किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया ।	
7.गैस/केमिकल डिजास्टर व अन्य बडी आगजनी की स्थिति पर नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों का अभाव तथा विशेषज्ञों की कमी	उक्त आपदाओं के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु उपकरणों एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है । ऐसी आपदाओं के घटित होने पर बडी जनहानि तथा धनहानि से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः कम से कम जयपुर जो कि राज्य की राजधानी है, के लिये इस प्रयोजनार्थ आवश्यक उपकरण तत्काल क्रय किये जाने चाहिये तथा ऐसी आपदाओं से निपटने के लिये विशेषज्ञ भी चिन्हित कर उनकी सेवाएं ली जानी चाहिये ।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि राज्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिये संसाधनों का अभाव है अतः जयपुर एवं अन्य संभागीय मुख्यालयों के लिये ऐसे उपकरण तत्काल क्रय किये जाने चाहिये तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये बजट भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिये । प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों का तेजी से निर्माण हो रहा है ऐसी स्थिति में ऐसी बहुमंजिला इमारतों में संभावित दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपकरण खरीदने चाहिये । प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने बताया कि ऐसे उपकरणों के संचालित करने के लिये प्रशिक्षित योग्यताधारी जन शक्ति की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की प्रकिया भी प्रारम्भ करनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय ने सचिव, आपदा प्रबन्धन को उपरोक्त के क्रम में तुरन्त कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये निर्देशित किया तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों/विभागों को उनकी	वित्त विभाग स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग उद्योग विभाग

		मांग के अनुसार उपकरण खरीद के लिये बजट की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराये जाने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।	
8. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 38 एवं 49 (2) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को बजट आवंटन के संबंध में।	आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो आपदाओं की रोकथाम व बचाव के लिये अपेक्षित कार्य तथा क्षमता संवर्द्धन का कार्य भी करें । साथ ही अधिनियम की धारा 49 में यह प्रावधान हैं कि आपदा प्रबन्धन गतिविधियों के लिये संबंधित विभाग यथा– सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सिंचाई विभाग द्वारा बजट प्रावधान किये जाऐगें । लेकिन राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं किया जा रहा है । यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु यह प्रावधान किये गये हैं कि आपदा प्रबन्धन गतिविधियों के लिये उपलब्ध बजट में से 10 प्रतिशत काम में लिया जाना है । अतः सभी केन्द्र प्रवर्तित योजना में 10 प्रतिशत राशि उपयोग में ली जाए इसी प्रकार के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा भी बनाये जाने हैं । साथ ही यह भी देखा गया है कि विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु कई बार विभिन्न उपकरण बिना जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की जानकारी के क्रय किये जाने से कुछ उपकरण तो ऐसे क्रय कर लिये जाते हैं जो पूर्व में ही उपलब्ध हों जिससे कुछ आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने शेष रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि आपदा प्रबन्धन से संबंधित स्थाई सामग्री संबंधित विभाग द्वारा क्रय किये जाने से पूर्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से सहमति ली जाए जिससे आपदा प्रबन्धन हेतु सभी आवश्यक सामग्री सभी संबंधित विभागों के समन्वय से क्रय की जा सकेंगी ।	शासन सचिव, सहायता ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा सभी विभागों के केन्द्र प्रत्यावर्तित योजनाओं में 10 प्रतिशत राशि (Flexi Fund) आपदा प्रबन्धन के लिये उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसका कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये जावें । साथ ही राज्य में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाएं । यह भी निर्देश दिये कि जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन से संबंधित उपकरणों की खरीद से पूर्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष से सहमति लिये जाने के लिये सभी विभागों/स्थानीय निकाय को निर्देशित किया जाए ।	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग वित्त विभाग स्थानीय निकाय विभाग नगरीय विकास विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग एवं अन्य सभी नोडल विभाग
9. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 की पालना कराये जाने हेतु	आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 30 व 34 आपदाओं की रोकथाम एवं प्रभावी प्रबन्धन हेतु जिला प्राधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करती है । लेकिन राज्य में जयपुर एवं जोधपुर शहर में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं उनके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की धारा 133 से 144 दण्ड प्रकिया संहिता की शक्तियां हटा दी गई है जबकि देश के अन्य बडे शहरों – दिल्ली, गुडगांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद आदि में ये शक्तियां पुलिस आयुक्त के बजाय जिला मजिस्ट्रेट के पास ही रखी गई हैं । इन शक्तियों के न रहने पर आपदा प्रबन्धन का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है। तथा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 133, 144 दण्ड प्रकिया संहिता की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को जारी किये जाने में सहमति जताई। उनका यह भी कथन था कि जिला मजिस्ट्रेट को आपदा प्रबन्धन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये धारा 133 से 144 दण्ड प्रकिया संहिता की शक्तियां होना आवश्यक है ।	गृह विभाग

	जिला मजिस्ट्रेट जो कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष है, को प्राप्त होने वाले प्रकरण पुलिस आयुक्तालय को भिजवाने पडते हैं जहां पर पुलिस के कानून–व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण प्रभावी कार्यवाही समय पर न होने से किसी भी बडी आपदा की स्थिति बन सकती है । अतः धारा 133, 144 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट को पुनः शक्तियां स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित हैं । इन शक्तियों की आवश्यकता पर्यावरण संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु भी आवश्यक है । ऐसे प्रकरणों में समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से किसी भी समय यह प्रकरण आपदा में परिवर्तित हो सकते हैं । **यहां यह उल्लेखनीय है कि आपदा अधिनियम की धारा 72 के अनुसार अधिनियम के प्रावधान अन्य सभी अधिनियमों पर अद्यारोही (over-riding) हैं । ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट के पास धारा 133, 144 दण्ड प्रकिया संहिता की शक्तियां नहीं होने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों की पालना कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।** उल्लेखनीय है कि देश के अन्य बडे महानगर दिल्ली, गुडगांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, आन्ध्र प्रदेश आदि में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली में ये सभी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट एवं उनके अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटस को दी गयी हैं। अतः प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु यह शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना प्रस्तावित है।	धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता की शक्तियां पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट दोनों को नई दिल्ली की तरह समानान्तर रूप से दी जा सकती है राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए अधिसूचना में संशोधन हेतु सक्षम स्तर से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये ।	
10 राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, समय पर ईलाज व दुर्घटना के बाद राजमार्ग को पुनः सुचारू यातायात संचालन	राज्य से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजामार्ग पर वर्तमान में टोलरोड हैं। टोल रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटनाओं के पश्चात यातायात सुचारू रूप से चलाये जाने की जिम्मेदारी टोल रोड के रियायतग्राही की होती है। जयपुर जिले से गुजर रहें सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो सभी टोलरोड है। यह देखा गया है कि रियायतग्राही द्वारा मात्र कुछ एंबूलेंस हाईवे पर रखी गयी है तथा कुछ स्थानों पर उनके द्वारा क्रेन की व्यवस्था की गयी है। अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गयी है। दुर्घटना होने की स्थिति में उनके द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के पहुंचने के बाद निर्देश दिये जाने पर निजी व्यक्तियों से किराये पर जेसीबी या अन्य संसाधन एकत्रित करने के प्रयास किये जाते हैं जिससे कि जनधन हानि बचाया जाना संभव नहीं होता है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गों से ज्वलनशील पदार्थ भी परिवहन होते हैं ऐसी स्थिति में फायर फाईटिंग उपकरण भी रियायातग्राही को रखने चाहिये जो उनके द्वारा नहीं रखे गये हैं। इससे दुर्घटना होने पर जन धन हानि को बचाया जाना संभव नहीं होता है तथा नगर निगम एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा संचालित अग्नि शमन वाहन के पहुंचने तक जान एवं माल की हानि हो चुकी होती है।	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जो व्यवस्थाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जाने की बताई गई हैं वो रियायतग्राही द्वारा किये जाने के प्रावधान हैं । इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग की मीटिंग की जा रही है और व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी । शासन सचिव, सहायता द्वारा ट्रोमा यूनिट के बिन्दु पर चर्चा कर बताया कि भारत सरकार एक पायलट प्राजेक्ट कैशलैस इन्सयोरेन्स स्कीम द्वारा दिल्ली जयपुर वाले राजमार्ग पर विभिन्न चिकित्सालयों को दुर्घटनाओं पर तत्काल चिकित्सा हेतु अधिकृत किया गया है जिसके तहत 30 हजार	सार्वजनिक निर्माण विभाग आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्व विभाग गृह विभाग

	टोलनाकों पर एंबूलेंस आपदा प्रबंधन के वाहन तथा टोल से मुक्त वाहनों के लिये अतिरिक्त लेन नहीं रखे जाने के कारण जन हानि होने की संभावना रहती है क्योंकि ऐसे वाहनों को अनावश्यक रूप से टोल पर इंतजार करना पडता है। टोल रोडस पर आवश्यक सेवायें यथा पुलिस, आपदा प्रबंधन से संबंधित सूचनायें एवं दूरभाष नंबर डिस्प्ले न तो टोल नाकों पर किये गये हैं ना ही दुर्घटना संभावित क्षेत्र में किये गये हैं। यहां यह भी देखा गया है कि रियायतग्राही द्वारा निरंतर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में किसी प्रकार का अनुसंधान कर इनको दूर करने का प्रयास वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाजा संचालित हैं जिस पर रियायतग्राही द्वारा टोल वसूल किया जाता है लेकिन देखा गया है कि रियायतग्राहियों द्वारा राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय नहीं किये जा रहे हैं ना ही दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु सुविधा, साधन रखे गये हैं न ही आग से बचाव के उपकरण –फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है तथा जिन बाहनों पर टोल देय नहीं है उन वाहनों के लिये प्रावधान के बावजूद अलग से एग्जिट लाईन (गेट) नहीं रखी जा रही है जिससे कि एम्बूलेन्स एवं आपदा के लिये जाने वाले वाहनों को अनावश्यक इन्तजार करना पडता है जिससे जन हानि की संभावना बनी रहती है इस हेतु आवश्यक निर्देश सभी रियायतग्राहियों को परियोजना निदेशकों के माध्यम से जारी किये गये हैं । राज्य स्तर पर भी ऐसे निर्देश जारी किये जावें ताकि पूरे राज्य में रियायतग्राहियों द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव के लिये प्रभावी व्यवस्था की जाए तथा दुर्घटनाओं में जन हानि को कम किया जा सके ।	रूपये तक की खर्च की गई राशि का पुर्नभरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में उन्हें जानकारी नहीं है और ना ही इसका प्रचार–प्रसार हुआ है । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी लेकर अधिकतम प्रचार–प्रसार कर सभी जिला मजिस्ट्रेट को भी पालनार्थ अवगत कराया जाए । यह भी निर्देश दिये कि हाइवे पर स्थित सीएचसी/पीएचसी को चरणबद्ध तरीके से ट्रोमा यूनिट स्थापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाए । इस हेतु संबंधित विभाग यथाशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें । साथ ही राजस्व अधिकारी प्रत्येक राजमार्ग पर या आस पास प्रत्येक 50 कि0मी0 पर अस्पताल हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से करें ।	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग
11. आबादी क्षेत्र में स्थित केमिकल यूनिटें/एम0ए0एच0 यूनिटें/गैस गोदाम/पैट्रोल पम्प इत्यादि को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के संबंध में	सीतापुरा ऑयल डिपो आगजनी, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग पर रसायन फैक्ट्री की आगजनी, शहरी क्षेत्र में स्थित लकडी/बांस/प्लाई/प्लास्टिक के भण्डारण/गैस गोदाम/पैट्रोल पंप/ एम0ए0एच0 यूनिटें इत्यादि में पूर्व में हुये हादसों/आगजनी एवं संभावित खतरों को देखते हुये जान–माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है । उल्लेखनीय है कि आबादी क्षेत्र में ऐसी यूनिटें होने के कारण उनमें कार्यरत व्यक्तियों के अलावा आस–पास की आबादी में भी जन हानि एवं अन्य नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ ही आबादी क्षेत्र में दुर्घटना होने पर उसमें नियंत्रण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः ऐसी इकाईयों को चरणबद्ध तरीके से शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाना चाहिये । ताकि किसी भी बडी आपदा की स्थिति से बचा जा सके ।	राज्य कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया कि ऐसी इकाईयों को स्थानान्तरित करने के लिये स्थानीय निकाय विभाग, नगरीय विकास विभागएवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यवाही करें। इसके संबंध में नगरीय विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया जाता है। अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग कार्यवाही को सुनिश्चित करेगें।	उद्योग/नगरीय विकास एवं आवासन/ऑयल कंपनी/फैक्ट्री एण्ड बायलर्स/गृह/ प्रदूषण विभाग/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

12. जयपुर शहर में जलदाय विभाग के पेयजल स्त्रोतों – पानी की टंकियों की सुरक्षा बाबत	विभिन्न आन्दोलनों के दौरान आन्दोलनकारी अपनी मांगों की पूर्ति हेतु पेयजल आपूर्ति पानी की टंकियों (Over Head Tank) पर चढ जाते हैं इससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार की गतिविधियों से पेयजल आपूर्ति के दूषित होने की संभावना रहती है। पेयजल के दूषित होने से जन स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड सकता है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं को ऐसे ओवरहैड टैंक की 8 फीट तक की सीढिया हटाकर उसके स्थान पर हटाने योग्य सीढिया प्रयोग करने के निर्देश जारी किये हैं तथा जलापूर्ति के बडे जलाशयों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा के पर्याप्त इन्तजाम करने हेतु निर्देशित किया है ।	राज्य कार्यकारी समिति ने जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जारी किये गये निर्देशों को उचित माना तथा राज्य स्तर पर विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार कियान्वयन के लिये व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।	जलदाय विभाग
13. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23, 32, 36, 39 भारत सरकार, राज्य सरकार के सभी विभागीय स्तर व अधीनस्थ कार्यालय के स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्ययोजना की व्यवस्था के संबंध में।	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23, 32, 36, 39 में भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी विभागीय स्तर व अधीनस्थ कार्यालय के स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार किये जाने के प्रावधान है। लेकिन अधिकांश विभागों द्वारा ऐसी कार्ययोजना नहीं बनायी जा रही है। इनमें यह भी प्रावधान है कि सभी लोकल अथोरिटी भी इस अनुसार प्रावधान करेगें लेकिन वर्तमान में अधिकांश विभाग तथा स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी कार्य योजना नहीं बनायी जा रही है ना ही इस हेतु बजट में कोई प्रावधान किया जा रहा है।	राज्य कार्यकारी समिति को विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिला स्तर पर बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में बताया। शासन सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि राज्य प्लान व सभी जिलों को प्लान तैयार किया जा चुका है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिये गये है की सभी विभाग अपना–अपना आपदा प्लान अतिशीघ्र तैयार करें, जिसकी कार्यवाही जारी है।	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग/सभी संबंधित विभाग
14. जिले स्तर पर स्थानीय निकाय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 41 में स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं । वर्तमान में स्थानीय निकायों द्वारा जारी की जाने वाली निर्माण स्वीकृतियों में अग्निशमन योजना (fire safety plan) सुरक्षा योजना (security plan) तथा निकास योजना (evacuation plan) नहीं लिये जा रहे हैं जिससे किसी भी हादसे की स्थिति में जान माल की हानि से इन्कार नहीं किया जा सकता है । जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर को उपरोक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु लिखा गया है । इस संबंध में बिल्डिंग बाइलॉज में अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन किये जाने आवश्यक हैं ।	राज्य कार्यकारी समिति ने बताया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा सभी बहुमंजिला इमारतों के सुरक्षा प्लान – यथा अग्निशमन, आकस्मिक निकासी के सम्बन्ध में तथा उसी के अनुरूप भवन निर्माण की पालना सुनिश्चित कराने के लिये बिल्डिग बाइ–लॉज बनाये जाने/संशोधन करने की आवश्यक कार्यवाही की जावे।	नगरीय विकास विभाग/ रीको/स्थानीय निकाय विभाग

15. संवेदनशील संस्थानों/भवनों के निकट निर्माण के प्रावधान	यह देखा गया है कि वर्तमान भवन नियम, विनियम दोनों में संवेदनशील संस्थानों यथा– हवाई अड्डा, सेना क्षेत्र, ऑयल एण्ड गैस टर्मिनल, उच्च न्यायालय, विधानसभा, शासन सचिवालय, सिविल लाइन्स क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में होने वाले निर्माणों को सामान्य भवन नियम/विनियम के तहत अनुमोदित किया जा रहा है जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है अतः ऐसे संवेदनशील संस्थानों जो राज्य की गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिये आवश्यक हैं तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं, हेतु पृथक से भवन निर्माण नियम, विनियम बनाये जावें अथवा वर्तमान नियमों, विनियमों में अपेक्षित संशोधन किये जाएं । साथ ही जिला कलक्टर जयपुर ने अवगत कराया कि हवाई अड्डों के समीप बडी–बडी इमारतों का निर्माण कार्य की स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया से अनापत्ति लेकर दी गई है जबकि सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है । पुलिस आयुक्तालय का भी आक्षेप प्राप्त हुआ है । चूँकि जयपुर एक धार्मिक,पर्यटन शहर है यहां कई सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, राष्ट्राध्यक्ष आदि का आना जाना बना रहता है ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना किसी भी आपदा/दुर्घटना को आमंत्रण देने के समान होगा । अतः इस हेतु उपरोक्त सुझावानुसार तत्काल जयपुर विकास प्राधिकरण/जयपुर नगर निगम संशोधित बाइलॉज बनाएं और ऐसे संशोधन तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत ऐसे भवनों के निर्माण को जिला मजिस्ट्रेट की अनापत्ति के बिना अनुमत नहीं किया जाए ।	राज्य कार्यकारी समिति की यह सहमति बनी कि संवेदनशील संस्थान/भवनों के पास निर्माण सामान्य बिल्डिग बाइलॉज के तहत किये जाने के बजाय विशेष प्रावधान आवश्यकतानुसार बनाये जाने चाहिये ताकि ऐसे संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो न ही ऐसे स्थलों पर आवाजाही करने वाले सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को कोई खतरा हो इस हेतु बिल्डिग बाइलॉज में अपेक्षित संशोधन किये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग को निर्देशित किया जाए ।	नगरीय विकास विभाग स्थानीय निकाय विभाग गृह विभाग
16. ग्रामीण क्षत्रों में संवेदनशील संस्थानों/बहुमंजिले भवनों/होटलों/बडी ओद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा उपाय के संबंध में।	यह देखा गया है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षत्रों में संवेदनशील संस्थानों/बहुमंजिले भवनों/होटलों/बडी ओद्योगिक इकाईयों के होने के उपरान्त उनके पास सुरक्षा उपायों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है जिसके कारण आये दिन हादसे होने की संभावना बनी रहती है। इस पर प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं गामीण विकास विभाग द्वारा उक्त व्यवस्थाओं में खामियां होना पाया गया बताया। इसे देखते हुए उक्त समस्त संस्थानों को जिला मजिस्ट्रेट की अनापत्ति के बिना निर्माण/संचालन नहीं किया जाये।	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा बताया गया कि उक्त सभी संस्थानों के सुरक्षा प्लान – यथा अग्निशमन, आकस्मिक निकासी के संबंध में तथा उसी के अनुरूप भवन निर्माण की पालना सुनिश्चित कराने के लिए बिल्डिग बाइ लॉज बनाये जाने के के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये।	पंचायती राज विभाग

क्रमांकः 1(1)(5)आ.प्र.स.आ./सामान्य/III/2007/1674-90 जयपुर, दिनांकः 23.2.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री
2. निजी सचिव एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर
14. निजी सचिव, महानिदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, राज0, जयपुर
15. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, जयपुर।
16. निदेशक, मौसम विभाग, जयपुर
17. समस्त अधिकारिगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव